International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-4 July-August-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आदिवासी शिक्षा का एक अध्ययन

डॉ. सुधा शर्मा

प्राचार्या (श्री अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, रनजीत नगर, भरतपुर)

सारांश, सार्वभौमिक उच्च–गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया की भलाई के लिए हमारे देश की समृद्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को विकसित करने और अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता को प्राप्त करने, एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज विकसित करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मौलिक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना भारत के निरंतर उत्थान और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में वैश्विक मंच पर नेतृत्व की कुंजी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय 2018–19 से प्रभावी समग्र शिक्षा योजना को लागू कर रहा है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर से संबंधित बच्चों तक पहुँचती है। यह योजना नामांकन, प्रतिधारण और लिंग समानता के विभिन्न संकेतकों के साथ–साथ एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों की सांद्रता पर प्रतिकूल प्रदर्शन के आधार पर पहचाने गए विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) पर भी ध्यान केंद्रित करती है। समग्र शिक्षा के प्रमुख हस्तक्षेपों में आरटीई पात्रता शामिल है जिसके तहत सभी लड़कियों और एससी/एसटी / बीपीएल परिवारों से संबंधित बच्चों को कक्षा आठ तक के सरकारी स्कूलों में दो सेट यूनिफॉर्म प्रदान किए जाते हैं और सरकारी/ स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, जिसमें मदरसा भी शामिल है, में एससी/एसटी सहित सभी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का भी प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं।

मुख्य शब्द, एससी, एसटी, सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना आदि।

प्रस्तावना, अगले दशक में भारत में दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी होगी और उन्हें उच्च–गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की हमारी क्षमता हमारे देश का भविष्य निर्धारित करेगी। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा – 2030 तक समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना चाहता है। इस तरह के एक बड़े लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को सीखने का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें। दुनिया ज्ञान परिदृश्य में तेजी से बदलाव से गुजर रही है। विभिन्न नाटकीय वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ, जैसे कि बड़े डेटा, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय, दुनिया भर में कई अकुशल नौकरियों को मशीनों द्वारा लिया जा सकता है, जबकि एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता, विशेष रूप से गणित, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान को शामिल करते हुए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में बहु–विषयक क्षमताओं के साथ, तेजी से अधिक मांग में होगी।

जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों के साथ, हम दुनिया की ऊर्जा, पानी, भोजन और स्वच्छता की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसके परिणामस्वरूप फिर से नए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, कृषि, जलवायु विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। महामारी और महामारियों के बढ़ते उद्भव से संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान की भी आवश्यकता होगी और परिणाम स्वरूप सामाजिक मुद्दे बहु–विषयक सीखने की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ–साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। वास्तव में, तेजी से बदलते रोजगार परिदृश्य और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, यह तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि बच्चे न केवल सीखें, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सीखें कि कैसे सीखना है। इस प्रकार, शिक्षा को कम सामग्री की ओर बढ़ना चाहिए, और अधिक इस बारे में सीखना चाहिए कि कैसे आलोचनात्मक रूप से सोचना है और समस्याओं को हल करना है, कैसे रचनात्मक और बहु–विषयक होना है, और कैसे नए और बदलते क्षेत्रों में नई सामग्री को नया रूप देना, अनुकूलित करना और अवशोषित करना है। शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, समग्र,एकीकृत, जांच–संचालित, खोज–उन्मुख, शिक्षार्थी–केंद्रित, चर्चा–आधारित, लचीला और निश्चित रूप से आनंददायक बनाने के लिए शिक्षाशास्त्र को विकसित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, खेल और फिटनेस, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल होने चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों के सभी पहलुओं और क्षमताओं का विकास हो सके और शिक्षा को शिक्षार्थी के लिए अधिक समग्र, उपयोगी और संतुष्टिदायक बनाया जा सके। शिक्षा को चरित्र का निर्माण करना चाहिए, शिक्षार्थियों को नैतिक, तर्कसंगत, दयालु और देखभाल करने में सक्षम बनाना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें लाभदायक, संतुष्टिदायक रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उसके बीच के अंतर को बड़े सुधारों के माध्यम से पाटा जाना चाहिए जो प्रारंभिक बचपन

की देखभाल और उच्च शिक्षा के माध्यम से प्रणाली में उच्चतम गुणवत्ता, समानता और अखंडता लाते हैं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत में 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो किसी से कम न हो, जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम–गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। यह इस शिक्षा नीति में उचित रूप से निपटा गया है। 1986 / 92 की अंतिम नीति के बाद से एक बड़ा विकास बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी आधार तैयार किए। इस नीति के सिद्धांत शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक कल्पना हो, साथ ही साथ ठोस नैतिक आधार और मूल्य हों। इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समतामूलक, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण के लिए लगे हुए, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक तैयार करना है। एक अच्छा शिक्षण संस्थान वह है जिसमें हर छात्र का स्वागत और देखभाल महसूस हो, जहां एक सुरक्षित और प्रेरक सीखने का माहौल मौजूद हो, जहां सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती हो हालांकि, इसके साथ ही संस्थानों और शिक्षा के सभी चरणों में निर्बाध एकीकरण और समन्वय भी होना चाहिए। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली के साथ–साथ इसके भीतर व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करेंगे, वे हैं।

प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना, पहचानना और बढ़ावा देना, शिक्षकों के साथ–साथ माता–पिता को प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील बनाना है। ग्रेड 3 तक सभी छात्रों द्वारा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों को अपने सीखने के पथ और कार्यक्रम चुनने की क्षमता मिले और इस प्रकार वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकेंत है। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव न रहै। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में बहुविषयकता और समग्र शिक्षा रहती है। रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर रहता है। तार्किक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच।निर्माण और नवाचार रहना चाहिऐ नैतिकता और मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय होता रहना चाहिए। शिक्षण और सीखने में बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना रहता है। संचार, सहयोग, टीमवर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल बडना चाहिऐ।

आज की श्कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए नियमित रूप से प्रारंभिक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिऐ। शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, भाषा की बाधाओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच बढ़ाना और शैक्षिक योजना और प्रबंधन होना चहिऐ। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण और नीति में विविधता के लिए सम्मान और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा

एक समवर्ती विषय है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिऐ। शिक्षक और संकाय सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में – उनकी भर्ती, निरंतर पेशेवर विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्तें बनी रहनी चाहिऐं । स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और लीक से हटकर विचारों को प्रोत्साहित करते हुए ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक श्हल्का लेकिन सख्तश नियामक ढांचा है। उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान होते रहने चाहिऐ। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की निरंतर समीक्षा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत और इसकी समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं में निहितता और गर्व शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को हर बच्चे का मूल अधिकार माना जाना चाहिए एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ–साथ सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने में पर्याप्त निवेश। इस नीति का विजन यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है और इस तरह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाती है। नीति में परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति से छात्रों में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना, अपने देश के साथ संबंध और बदलती दुनिया में किसी की भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता विकसित होनी चाहिए। नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय होने के प्रति गहरा गर्व पैदा करना है, न केवल विचारों में, बल्कि भावना, बुद्धि और कर्मों में भी, साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और स्वभाव को विकसित करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन तथा वैश्विक कल्याण के प्रति जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं, जिससे वे वास्तव में वैश्विक नागरिक बन सकें। भाग I- स्कूल शिक्षा इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10. 2 संरचना को 5. 3. 3. 4 के नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन के साथ संशोधित किया जाएगा, जो 3–18 वर्ष की आयु को कवर करेगा जैसा कि प्रतिनिधि आंकड़े में दिखाया गया है और बाद में अध्याय 4 के तहत विस्तार से बताया गया है। मध्य 10 (आयु 6–16) 2 (आयु 16–18) 2 वर्ष (कक्षा 1 और 2) (आयु 6–8) 3 वर्ष (आंगनवाड़ी / प्रीस्कूल / बालवाटिका) (आयु 3–6) 3 (कक्षा 3 से 5) (आयु 8–11) 3 (कक्षा 6 से 8) (आयु 11–14) 4 (कक्षा 9 से 12) (आयु 14–18) पिछली शैक्षणिक संरचना नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना वर्तमान में, 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों को 10़2 संरचना में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि कक्षा 1 की शुरुआत 6 वर्ष की आयु से होती है। नई 5़3़3़4 संरचना में, 3 वर्ष की आयु से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का एक मजबूत आधार भी शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव एक बच्चे के संचयी मस्तिष्क विकास का 85% से अधिक हिस्सा 6 वर्ष की आयु से पहले होता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क विकास और वृद्धि सुनिश्चित

करने के लिए शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। वर्तमान में, गुणवत्तापूर्ण ECCE करोड़ों युवा बच्चों, विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। ECCE में मजबूत निवेश से सभी युवा बच्चों को ऐसी पहुँच प्रदान करने की क्षमता है, जिससे वे अपने पूरे जीवन में शैक्षिक प्रणाली में भाग ले सकें और फल–फूल सकें। इसलिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन विकास, देखभाल और शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान जल्द से जल्द और 2030 से पहले हासिल किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्र स्कूल के लिए तैयार हों। ईसीसीई में आदर्श रूप से लचीला, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल–आधारित, गतिविधि–आधारित और पूछताछ–आधारित शिक्षण शामिल है, जिसमें वर्णमाला, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इनडोर और आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या–समाधान, ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक और कठपुतली, संगीत और आंदोलन शामिल हैं। इसमें सामाजिक क्षमता, संवेदनशीलता, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, टीम वर्क और सहयोग विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना होगा शारीरिक और मोटर विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक–भावनात्मक–नैतिक विकास, सांस्कृतिक/कलात्मक विकास, और संचार और प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता का विकास। एनसीई आरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक रूपरेखा दो भागों में विकसित की जाएगी, अर्थात् 0–3 वर्ष के बच्चों के लिए एक उप–ढांचा, और 3–8 वर्ष के बच्चों के लिए एक उप–ढांचा, जो उपरोक्त दिशा–निर्देशों, ईसीसीई पर नवीनतम शोध और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा। विशेष रूप से, ईसीसीई में सहस्राब्दियों से विकसित भारत की कई समृद्ध स्थानीय परंपराओं को भी उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसमें कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। यह रूपरेखा माता–पिता और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संस्थानों दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। समग्र लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली ईसीसीई तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना होगा। विशेष ध्यान और प्राथमिकता उन जिलों और स्थानों को दी जाएगी जो विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित हैं। ईसीसीई को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा संस्थानों की एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और मजबूत प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा जिसमें (ए) स्वतंत्र आंगनवाड़ियाँ शामिल होंगी (बी) प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह–स्थित आंगनवाड़ियाँ (सी) मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह–स्थित कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु को कवर करने वाले पूर्व–प्राथमिक विद्यालय/अनुभागय और (डी) स्वतंत्र पूर्व–विद्यालय – जिनमें से सभी ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ईसीसीई तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढाँचे, खेल के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों के साथ मजबूत किया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक अच्छी तरह से हवादार, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, बच्चों के अनुकूल और अच्छी तरह से निर्मित भवन होगा जिसमें समृद्ध शिक्षण वातावरण होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे दौरे करेंगे – और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण सुचारू हो सके। आंगनवाड़ियों को स्कूल परिसरोंध्समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा, और आंगनवाड़ी बच्चों,

अभिभावकों और शिक्षकों को स्कूल/स्कूल परिसर के कार्यक्रमों में शामिल होने और भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसके विपरीत। यह परिकल्पना भी की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बालवाटिका (यानी कक्षा 1 से पहले) में चला जाएगा, जिसमें एक ECCE& योग्य शिक्षक होगा। प्रारंभिक कक्षा में सीखना मुख्य रूप से संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनो–प्रेरक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के विकास पर ध्यान देने के साथ खेल–आधारित सीखने पर आधारित होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 गोहेन, मनश प्रतिम (31 जुलाई 2020) एनईपी भाषा नीति व्यापक दिशानिर्देशरू सरकार टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 31 जुलाई 2020 को संग्रहीत किया गया 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।

2 चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020) व्याख्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना इंडियन एक्सप्रेस मूल से 1 अगस्त 2020 को संग्रहीत किया गया 2 अगस्त 2020 को लिया गया ।

3 मातृभाषा में शिक्षा www-pib-gov-in मूल से 23 जनवरी 2023 को संग्रहीत । 23 जनवरी 2023 को लिया गया ।

4 नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020)। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएंरू स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान टाइम्स मूल से 30 जुलाई 2020 को संग्रहीत 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।

5 .जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020) द हिंदू एक्सप्लेन्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्या प्रस्तावित किया है? द हिंदू आईएसएसएन 0971–751 मूल से 2 अगस्त 2020 को संग्रहीत 2 अगस्त 2020 को लिया गया ।